372

संख्या– /xxxi(15) G-2016-10(सा0)/2015

प्रेषक,

विजय चन्द्र कौशल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी, चमोली,
उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग **देहरादूनः दिनांक 28 मार्च, 2016**

विषयः– गोर्खाली समुदाय के बच्चों के स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–7525/पन्द्रह–16(2014–2015) दिनांक 03 सितम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें गोर्खाली समुदाय के बच्चों के स्थाई निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. स्थायी निवास प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–2588/एक–4/सा0प्र0/2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001, में विस्तृत व्यवस्था दी गयी है।

3. भारत सरकार एवं नेपाल सरकार के मध्य सन् 1950 में एक संधि हुई है। उक्त संधि के Article-7 में नेपाली नागरिकों को भारत के नागरिकों के समान ही अधिकार दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

जनपद चमोली में निवासरत श्री दुर्गा सिंह पुत्र श्री राम सिंह व तहसील गैरसैण में निवासरत श्री अमर सिंह, ग्राम सलियांणा के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में वर्णित प्राविधानों तथा भारत सरकार एवं नेपाल सरकार के मध्य सन् 1950 में हुई संधि के आलोक में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(विजय चन्द्र कौशल)
अपर सचिव

278

संख्या–   /xxxi(15)G-2016-10(सा0)/2015,तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल ।

2–समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

3–निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को राजकीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

4–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरधर सिंह भाकुनी)
उप सचिव